संख्या:246/2022/862/35-4-2022/001-35-4099/55/2021

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 10 अगस्त,2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद बहराइच में शासनादेश संख्या-71/2021/812/35-4-2021 दिनांक 25 मार्च, 2021 के साथ पठित शासनादेश संख्या-96/2021/1083/35-4-2021 दिनांक 12 जुलाई, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से सम्बंधित 01 कार्य यथा-**इकौना-विशेश्वरगंज-गंगा जमुनी-रामपुर दुबहा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 4.000 से 14.000 एवं चैनेज 34.880 से 38.180 में चौड़ीकरण (इंटरमीडिएट लेन) एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य** की रू0 2367.68 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 591.92 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश सं0-265/2021/2059/35-4-2021 दिनांक 26 नवम्बर, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 591.92 लाख तथा शासनादेश सं0-88/2022/229/35-4-2022 दिनांक 16 मार्च, 2022 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू. 591.92 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार कुल मिलाकर प्रश्नगत कार्य हेतु रू. 1775.76 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिलाधिकारी के पत्र संख्या-201/त्व0आ0वि0यो0/2021-22/2021, दिनांक 20 जुलाई, 2022 द्वारा स्वीकृत कार्य की लागत के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपभोग होना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत कार्य की लागत रू. 2367.68 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त रू. 1775.76 लाख की धनराशि को समायोजित करते हुए चतुर्थ किश्त के रूप में देय रू. 473.53 लाख (रूपये चार करोड़ तिहत्तर लाख तिरपन हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

कार्य	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
इकौना-विशेश्वरगंज-गंगा जमुनी-रामपुर दुबहा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 4.000 से 14.000 एवं चैनेज 34.880 से 38.180 में चौड़ीकरण (इंटरमीडिएट लेन) एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	2367.68	1775.76	473.53

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 25 मार्च, 2021, दिनांक 12 जुलाई, 2021, दिनांक 26 नवम्बर, 2021 एवं दिनांक 16 मार्च, 2022 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

धनराशि का पूरा लेखा-जोखा दिनांक 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात दिनांक 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,73,53,000 (रूपये चार करोड़ तिहत्तर लाख तिरपन हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखा शीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:246/2022/862/35-4-2022/001-35-4099/55/2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
9- मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बहराइच ।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बहराइच।
13- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बहराइच।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।